फर्द अहकाम

लक्ष्मीनारायण बनाम शंकरलाल वगै

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
	23/4/18	[illegible] है। अतः 5/6/18	
	18-5-18	प्रार्थी आज राजस्व लोक अदालत न्याय आदेश द्वारा दि. 2018 के [illegible] पक्षों पर लाखेरी में [illegible] वादी संख्या (1) रामलाल (2) हनुमान तथा एक का फरियाद होकर लड़के लालचन्द व बाबूलाल उपस्थित होकर द्वारा दिये लिखा प्रतिपक्ष वादिगण वापस [illegible] लिया [illegible] प्रार्थी अर्थ नगरहि [illegible] कार्यवाही [illegible]	उपखण्ड अधिकारी पदासीन अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

इन्द्रराज LTI वादी (3)

दस्तावेज करना चाहते हैं, लालचन्द बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण 18/5/018

रामलाल शर्मा